राजस्थान–सरकार

कार्यालय निदेशक,आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

कमांक: प.1/प्रति–3/न0क0/नियु0/आरपीएससी/09/

दिनांक:

आ दे श

एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17218/2013 राजीव कुमार जायसवाल बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2015 की अनुपालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 12.04.2016 को आयुर्वेद कनिष्ठ नर्स/कम्पा0 के पद पर अभ्यर्थी श्री राजीव कुमार जायसवाल (अ.पि. जा.) का परिणाम धोषित कर चयनित किये जाने के फलस्वरूप एवं उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग जयपुर के पत्रांक प011(10)आयु0/2014 पार्ट 1 दिनांक 01.6.2016 के द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक अधिनस्थ सेवा नियम 1966 के अन्तर्गत कनिष्ठ नर्स /कम्पा0 ग्रेड के पद पर रनिंग पे बेन्ड पी.बी–2–9300–34800 ग्रेड पे 3600 में कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिये कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स–कम्पाउण्डर के पद पर ट्रेनी (प्रोवेशन)के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (FIX REMUNERATION) रूपये 13200/– पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय/औषधालय में किया जाता है। दो वर्ष की परीविक्षा अवधि (प्रोबेशन ट्रेनी) सफलता पूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला पी बी–2 (9300–34800) + पे ग्रेड 3600/– का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। चयनित अभ्यर्थी पर अंशदायी पेंशन योजना परीविक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी:–

क. सं.	मेरिट सं.	आशार्थी का नाम/ पिता–पति का नाम	संवर्ग	जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता/ प्रशिक्षण	पदस्थापन स्थान
1	101441 रोल नम्बर	राजीव कुमार जायसवाल/नाथुलाल जायसवाल	OBC	24.06.1971	सी. हायर सैकण्डरी	डिप्लोमा आयुर्वेद	राज0आयु0औषधालय शास्त्री नगर नाहरी का नाका जयपुर–अ

आवश्यक निर्देशः–

1. उक्त नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17218/2013 राजीव कुमार जायसवाल बनाम राजस्थान राज्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2015 की पालना में जारी की गई है । आशार्थी को नियुक्ति आदेश जारी करने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर–अन्दर अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से संबधित जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर–अ कार्यालय में देनी होगी । उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/ प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
2. चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/ संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया हो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा। किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
3. संबंधित आशार्थी द्वारा किये गये कार्यभार ग्रहण संबंधी सूचना पूर्ण विवरण सहित निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे।
4. उक्त आशार्थियों से सन्तान संबंधी वचन पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, निदेशालय स्तर पर प्राप्त हो चुके हैं। जो सलग्न है।
5. संबधित कार्यालयघ्यक्ष अभ्यर्थी को कार्य भार ग्रहण कराने से पूर्व वांछित समस्त दस्तावेजो की जांच/परीक्षण उपरान्त संतुष्ट होने पर ही ड्युटी पर लेगे तथा कार्य भार ग्रहण करने की सूचना से निदेशालय को अवगत करायेगे।

//
(स्नेहलता पंवार)
निदेशक

कमांक: प.1/प्रति–3/न0क0/नियु0/आरपीएससी/09/ 14379-84

दिनांक: 30-6-16

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– उप शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर
2– उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर
3– उप विधी परामर्शी निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
4– जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर–अ
5– प्रभारी गोपनीय शाखा/प्रति–6 वरिष्ठता निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
6– संबधित आशार्थी श्री राजीव कुमार जायसवाल पु. नाथुलाल जायसवाल मकान न0 1865 जयलाल मुंशी का रास्ता दूसरा चौराया चांदपोल बाजार–जयपुर रजिस्टर्ड
7– सामान्य पत्रावली

निदेशक